प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. .... 201/2022 दिनांक .... 23/5/2022 ....

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7, 7–ए......
(ii) अधिनियम.......................... भा.द.स.................... धारायें......... 120 बी......................
(iii) अधिनियम.. धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.......................... 460 .... समय .... 10:00 A.M.
(ख) अपराध घटने का दिन रविवार दिनांक :– 22.05.2022 समय ....10.50 एएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– नीमकाथाना में सिरोही रोड़ पर स्थित श्री दुर्गा होटल एवं रेस्टोरेन्ट
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पूर्व दिशा में करीब 80 किलोमीटर
(ब) पता :– नीमकाथाना में सिरोही रोड़ पर स्थित श्री दुर्गा होटल एवं रेस्टोरेन्ट
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री संजय कुमार
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री कन्हैयालाल
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 35 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव सिरोही पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1–श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, उम्र–49 वर्ष, जाति यादव, निवासी गांव गणेशपुरा पुलिस थाना खेतडी जिला झुंझुनूं हाल मुख्य आरक्षक नं. 680, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर।
2–श्री बोदूराम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, उम्र–48 वर्ष, जाति मीणा, निवासी नयाबास पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली जिला सीकर।(प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 5,000 रूपये..........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 16.05.2022 को समय करीब 5.05 पीएम पर परिवादी श्री संजय कुमार ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9928270474 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन नम्बर 9413340555 पर कॉल कर पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना के एचसी श्री अनिल कुमार को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने मामलें में मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 16.05.2022 को समय 5.30 पीएम पर कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर परिवादी से करबा नीमकाथाना में सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द

करने की विधि समझाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया।

कार्यवाही पुलिस

17.05.2022

1.00 पीएम इस समय परिवादी श्री संजय कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल, उम्र–35 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी गांव सिरोही पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि" गांव सिरोही पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली में मेने मोबाईल रिपेयर की दूकान कर रखी है। मेरे परिवार में मेरे चाचाजी गोविन्दराम वगैराह से हमारे खेत की जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, इसी बात को लेकर मेरे चाचाजी एवं अन्य ने दिनांक 12.03.2022 को मेरी उक्त दूकान पर आकर मेरे साथ मारपीट की, जिस पर हमारे एक–दूसरे के पुलिस थाना कोतवाली में कोस केस दर्ज हुआ था। उक्त दोनों मुकदमों की तफ्तीश श्री अनिल कुमार एचसी कर रहा है। मैने अनिल कुमार एचसी से इस कम में बातचीत की तो उसने मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नम्बर 105/2022 में मदद करने तथा मेरे विपक्षी पार्टी द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 104/2022 में एफआर लगाने के लिये मेरे से 50,000 रूपये मांगे तथा रूपये श्री बोदूराम को देने की कही। उक्त बोदूराम पुलिस वालों की दलाली का काम करता है। पूर्व में मैने बोदूराम के मार्फत अनिल कुमार एचसी को 23000 रूपये दे दिये। अब अनिल कुमार व बोदूराम मेरे से 15,000 रूपये रिश्वत के और मांग रहे है। मैं उक्त दोनों को रिश्वत के रूपये अब और देना नही चाहता और उन्हे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ। कार्यवाही करें।" एसडी–संजय कुमार दिनांक 17.05.2022, एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक कार्यवाही शुरू की जाती है, दिनांक 17.05.2022, एसडी–विक्रमसिंह, एसडी झाबरसिंह दिनांक 22.05.2022 मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री अनिल कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। श्री कैलाशचन्द कानि. ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " दिनांक 17.05.2022 को नीमकाथाना बस स्टेण्ड पर मैने परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के साथ पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना के पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के थाने से बाहर आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया।" परिवादी ने बताया कि "मैने दलाल बोदूराम से सम्पर्क कर मै तथा बोदूराम थाने में गये जहाँ श्री अनिल कुमार मौजूद मिला, मैने अपने कार्य के बारे में अनिल कुमार एचसी से वार्ता करनी चाही तों अनिल कुमार एचसी ने मुझे धमकाते हुये कहा कि "ये बोदूराम जी आ गये नहीं तो तेरे को बन्द कर देता, अब ये कहेगें वैसे कर लेगे" उसके बाद बोदूराम ने मुझे कमरे के बाहर भेज दिया तथा कुछ देर बाद बोदूराम ने कमरे से बाहर आकर मुझे अनिल कुमार को 15000 रूपये देने की कही, तब मैने कहा कि अभी मेरे पास रूपये नहीं है बाद में कर दूंगा" टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई।

रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया। रिकार्ड वार्ता में दलाल बोदूराम द्वारा ही रिश्वत की मांग करने तथा आरोपी एचसी की रिश्वती राशि के बारें में स्पष्ट डिमाण्ड नहीं होने के कारण परिवादी को आरोपी एचसी से रिश्वत के संबंध में पुनः वार्ता करवाने हेतु दिनांक 21.05.2022 को श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर नीमकाथाना रवाना किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 उपस्थित कार्यालय आया। कानि. ने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि" नीमकाथाना में पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी संजय कुमार अपने पिता श्री कन्हैयालाल के साथ बस स्टेण्ड पर आये, उसके बाद हम तीनों पुलिस थाना कोतवाली के पास पहूँचे जहाँ मैने टेप रिकार्डर परिवादी संजय कुमार को सुपुर्द कर दिया तथा उनके थाने से वापिस आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया।" कानि. ने परिवादी एवं परिवादी के पिता, दलाल बोदूराम एवं अनिल कुमार एचसी चारों की थाने में वार्ता होने की कही तथा परिवादीगण के कल कार्यालय में उपस्थित होने की कही। टेप रिकार्डर को सुना गया तो 5000 रूपये परिवादी द्वारा मौके पर देना तथा 5000 रूपये और देने संबंधी वार्ता पाई गई। टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमीरा में रखा गया।

दिनांक 22.05.2022 को परिवादी श्री सजयं कुमार एवं परिवादी के पिता श्री कन्हैयालाल उपस्थित कार्यालय आये। परिवादीगण ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "हमने कल दिनांक 21.05.2022 को दलाल बोदूराम से सम्पर्क कर थाने में जाकर अनिल कुमार एचसी से वार्ता की तो दलाल बोदूराम ने अनिल कुमार एचसी के सामने की रूपये देने की कही तब मैने 5000 रूपये अपनी जेब से निकालकर बोदूराम को दिये तो बोदूराम ने 5000 रूपये अनिल कुमार को दे दिये, तब बोदूराम दलाल ने 5000 रूपये देने की कही, तब मेरे पिताजी ने 5000 रूपये अनिल कुमार या बोदूराम को दोनों में से किसी को भी देने की कही" परिवादी के पिता श्री कन्हैयालाल ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी संजय कुमार के पिता श्री कन्हैयालाल ने आगे की कार्यवाही अपने पुत्र संजय कुमार के द्वारा ही करवाने की कही। परिवादी संजय कुमार के चाहेनुचार परिवादी के पिता श्री कन्हैयालाल को रूखसत किया गया। परिवादी श्री संजय कुमार ने रिश्वती राशि दलाल बोदूराम को ही देने की कही। तत्पश्चात कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.प.प.नि. आगार सीकर से श्री विक्रमसिंह एवं झाबरसिंह चालकगण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार सीकर को तलब किया जाकर परिवादी संजय कुमार का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी संजय कुमार ने हिदायत देने पर आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी एवं दलाल बोदूराम को रिश्वत में दिये जाने वाले पॉच–पॉच सौ रूपयों के 10 नोट कुल 5,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4BH 210119
2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7DD 486968
3–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9GA 793564
4–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3TE 430013
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0BW 337642
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9TT 198433
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2LL 848945
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5AK 251974
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9NC 353280
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1NH 533445

फिनोफ्थलीन पाऊडर की सीसी मालखाना से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री विक्रमसिंह से परिवादी श्री संजय कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 5,000 रूपयों के नोट श्रीमती सुशीला महिला कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9928270474 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9414623697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्रीमती सुशीला महिला कानि. मालखाना में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्रीमती सुशीला महिला कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी संजय कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.05.2022 एवं 21.05.2022 का मेमोरी कार्ड हमरा लेकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मौतवीरान श्री विक्रमसिंह एवं झाबरसिंह चालकगण एवं स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं.

568, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लेकर नीमकाथाना में सिरोही रोड़ स्थित दुर्गा होटल एवं रेस्टोरेन्ट के पास पहूँचा। श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस मय श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. के श्री अनिल कुमार एचसी पर निगरानी रखने एवं सूचना प्राप्त होने पर दस्तियाब करने हेतु रवाना पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना की तरफ हुये।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी के चाहेनुसार समय करीब 10.30 एएम पर परिवादी श्री संजय कुमार के मोबाईल नम्बर 9928270474 से श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तथा मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन पर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान परिवादी ने श्री बोदूराम को सिरोही रोड़ स्थित होटल के पास आने की कही तो श्री बोदूराम ने दस मिनट में ही आने की कही, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के तिराहे के आस-पास तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 10.50 एएम पर कस्बा नीमकाथाना में सिरोही रोड़ पर स्थित श्री दुर्गा होटल एवं रेस्टोरेन्ट के पास मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को एक व्यक्ति निकर पहने हुये अपनी स्कार्पियो से आकर होटल के अन्दर जाता दिखाई दिया तथा समय करीब 10.50 एएम पर परिवादी के अपने सिर पर हाथ फेरने का तय ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन् मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारे से साथ लेते हुये उक्त होटल के अन्दर पहूचा, जहॉ परिवादी संजय कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर अपने पास टेबल पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही बोदूराम है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से 5,000 रूपये अपने हाथों से गिनकर अपने पहने हुये निकर की बांई जेब में रखे है" रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर उक्त बोदूराम का बायां हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से तथा दाहिना हाथ श्री दलीप कुमार कानि. से कलाईयों के उपर से पकडवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम बोदूराम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, उम्र-48 वर्ष, जाति मीणा, निवासी नयाबास पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली जिला सीकर होना बताते हुये बताया कि" इनके खिलाफ दर्ज करवाये गये मुकदमें में मद्द करवाने के लिये मैने अनिल कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना को देने के लिये लिये है" मौके पर परिवादी ने बताया कि "मैने दिनांक 17.05.2022 को इनसे व श्री अनिल कुमार से थाने में बातचीत की तो इन्होने मुझे वार्ता के दौरान कमरे से बाहर निकालकर अनिल कुमार एचसी से बातचीत कर दस हजार रूपये देने की कही थी, कल मैने थाने में मेरे पिताजी की मौजूदगी में इनसे व श्री अनिल कुमार एचसी से वार्ता की तो इनके कहने पर पॉच हजार रूपये दिये तथा शेष पॉच हजार रूपये आज दिये है" इस पर समय करीब 10.57 एवं 11.00 एएम पर श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 से श्री अनिल कुमार एचसी के मोबाईल नम्बर 7427855411 पर व्हाट्अप कॉल करवाकर वार्ता करवाई, वार्ता के दौरान श्री बोदूराम ने कहा कि "दस आ गये है, थाने की तरफ आता हूँ, कहॉ हो आप" जिस पर श्री अनिल कुमार एचसी ने कहा कि" मै छावनी की तरफ आया हूँ, बाद में मिल लूंगा आपसे" तत्पश्चात श्री बोदूराम को उसी स्थिति में पकडे हुये सरकारी वाहन में बैठाकर होटल से सिरोही रोड़ पर थोडी दूर चलकर वाहन को रूकवाया जाकर समय करीब 11.35 एएम पर श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 से श्री अनिल कुमार एचसी के मोबाईल नम्बर 7427855411 पर व्हाट्अप कॉल करवाकर वार्ता करवाई, वार्ता के दौरान आरोपी दलाल श्री बोदूराम ने कहा कि "कहॉ मिलोगे" जिस पर आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी ने कहा कि "सन्तोषी माता के मंदिर के पास आ जावो" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के आरोपी दलाल श्री बोदूराम मय उसकी स्कार्पियों को साथ लेते हुये सन्तोषी माता के मंदिर के पास पहूँच आरोपी अनिल कुमार एचसी के आने के इन्तजार में वाहनों में ही मुकिम हुआ, परन्तु आरोपी अनिल कुमार एचसी के नहीं आने पर पुनः समय करीब 11.52 एएम पर श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 से श्री अनिल कुमार एचसी के मोबाईल नम्बर 7427855411 पर व्हाट्अप कॉल करवाकर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी ने कहा कि "मै आपसे बाद में मिल लूंगा" आरोपी श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी के

मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाट्अप की गई उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर टेप किया गया।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होने के मध्यनजर समय 12.10 पीएम आरोपी श्री बोदूराम को उसी स्थिति में पकडे हुये हिरानगर स्थित कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. के मकान पर पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बोदूराम के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री बोदूराम के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री बोदूराम ने अपने पहने हुये निकर की बांई जेब में रखे पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री विकमसिंह से गिनवाया गया जो कुल 5,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा समस्त कुल 5,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बोदूराम को श्री कैलाशचन्द कानि. के घर से तोलिया उपलब्ध करवाने पर उसने अपने पहने हुये निकर को उतरवाकर पेश किया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी श्री बोदूराम के निकर की बांई जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बोदूराम के निकर की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं पाया गया। आरोपी श्री बोदूराम के निकर बरंग हरा धारीदार की बांई जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर निकर को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ए'' अंकित किया गया।

कार्यवाही के दौरान श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस, जो श्री अनिल कुमार एचसी की पतारसी कर रहे थे, जिन्होने श्री अनिल कुमार के पुलिस थाने में आने की सूचना दी, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस को अनिल कुमार एचसी को थाने पर ही रोके रखने की कही। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सील्ड पेन्ट के पैकेट मार्क ''ए'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री बोदूराम प्राईवेट व्यक्ति को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी बोदूराम मय आरोपी की स्कार्पियों एवं जप्त शुदा वजह सबूत साथ लेकर पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना पहूँचा जहाँ श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अनिल कुमार एचसी से उसका परिचय एवं श्री बोदूराम के मार्फत परिवादी से प्राप्त पॉच हजार रूपयों के बारे में पूछा तो आरोपी अनिल कुमार ने अपना परिचय देते हुये बताया कि '' मैने इनसे कोई पैसे की मांग नहीं की है'' मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से दिनांक 21.05.2022 को पॉच हजार रूपये लेने बाबत आरोपी अनिल कुमार एचसी को पूछा तो कोई जबाब नहीं दिया। मौके पर मौजूद परिवादी ने आरोपी अनिल कुमार के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''इन्होने बोदूराम के मार्फत मेरे से

50,000 रूपयों की मांग की, पहले भी इन्होने मेरे 23000 रूपये लिये है, दिनांक 17.05.2022 को मैने इनसे बोदूराम की मौजूदगी में थाने पर बात की तो इन्होने मुझे थाने से बाहर निकाल दिया तथा बोदूराम से मिलने की कही तथा बोदूराम ने थाने से बाहर आकर मुझे 10,000 रूपये देने की कही'' मौके पर आरोपी बोदूराम एवं आरोपी अनिल कुमार एचसी को आमने–सामने बैठाकर पूछा तो आरोपी बोदूराम ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि ''मैने अनिल कुमार एचसी के कहने पर ही संजय कुमार से पैसे की बात की थी, दिनांक 17.05.2022 को अनिल कुमार के कहने पर ही मैने संजय कुमार को कमरे से बाहर निकाला था तथा दिनांक 21.05.2022 को अनिल कुमार के कहने पर ही मैने संजय कुमार से पॉच हजार रूपये लेकर अनिल कुमार को दिये थे तथा आज भी जो पॉच हजार रूपये लिये है, वो अनिल कुमार एचसी के कहने पर ही लिये, रूपये लेने के बाद मैने इनके व्हाट्अप पर वार्ता की तो इन्होने मेरे से बाद में मिलने की कही थी, इन रूपयों से मेरा कोई लेना देना नहीं है।''

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी बोदूराम का विवो कम्पनी के मोबाईल फोन को चैक किया गया तो उक्त मोबाईल फोन के व्हाट्अप कॉल लॉग में आरोपी बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 से आरोपी अनिल कुमार एचसी के मोबाईल नम्बर 7427855411 पर दिनांक 22.05.2022 को अलग–अलग व्हाट्अप कॉल किया जाना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी अनिल कुमार एचसी जिसमें सीम नम्बर 7427855411 होना आरोपी एचसी ने बताया। आरोपी एचसी को अपना मोबाईल फोन का लॉक खुलवाने के लिये दिया गया तो आरोपी एचसी ने चालाकीपूर्वक मोबाईल फोन का लॉक खोलकर आरोपी बोदूराम से हुये व्हाट्अप कॉल लॉग को डिलेट कर दिया। तत्पश्चात आरोपी एचसी के मोबाईल फोन के फिंगर लॉक को अनलॉक करवाया गया। आरोपी अनिल कुमार एचसी के मोबाईल फोन एवं आरोपी बोदूराम के मोबाईल फोन के व्हाट्सअप कॉल लॉग एवं फोन विवरण की दूसरे मोबाईल फोन से फोटो लेकर उनका प्रिन्ट निकलवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। आरोपी अनिल कुमार एचसी के उक्त मोबाईल फोन को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर संबंधितों के हस्ताक्षर कर मार्क ''बी'' तथा आरोपी बोदूराम के उक्त मोबाईल फोन को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर संबंधितों के हस्ताक्षर कर मार्क ''सी'' अंकित कर जरिये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया गया।

आरोपी श्री अनिल कुमार मुख्य आरक्षक नं. 680, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को कानिगण की निगरानी में बैठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के घटना स्थल पहूॅच घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा तैयार किया गया। बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हराहीयान के पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली पहूॅच परिवादी द्वारा दर्ज करवाये तथा परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 104/2022 एवं 105/2022 की पत्रावलियों की फोटो प्रति करवाकर श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस से प्रमाणित करवाकर पत्रावलियों के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री संजय कुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.05.2022 को आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर एवं दलाल बोदूराम से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''डी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी संजय कुमार ने स्वंय की व श्री अनिल कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर एवं दलाल बोदूराम की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी श्री संजय कुमार एवं परिवादी के पिता श्री कन्हैयालाल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.05.2022 को आरोपी श्री अनिल कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर एवं दलाल बोदूराम से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी

एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ई" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी संजय कुमार ने स्वंय की एवं अपने पिता तथा आरोपीगण श्री अनिल कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर एवं दलाल बोदूराम की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन दिनांक 22.05.2022 को समय करीब 10.30 एएम पर परिवादी श्री संजय कुमार के मोबाईल नम्बर 9928270474 से श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 पर कॉल लगवाकर करवाई गई वार्ता को मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन पर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 22.05.2022 को रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी श्री बोदूराम दलाल से हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप किया गया जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी संजय कुमार ने स्वंय की दलाल बोदूराम की आवाजों की पहचान की। इसी क्रम में रिश्वत लेनदेन के समय दिनांक 22.05.2022 को श्री बोदूराम के मोबाईल नम्बर 9829799007 से श्री अनिल कुमार एचसी के मोबाईल नम्बर 7427855411 पर व्हाट्अप कॉल करवाकर समय करीबन 10.57 एएम, 10.59 एएम, 11.35 एएम एवं 11.52 एएम पर अलग–अलग हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर मेमोरी कार्ड से दो सीडी तैयार कर मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एफ" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को मौके पर छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण अनिल कुमार एचसी व दलाल बोदूराम व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर नीमकाथाना से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। प्रकरण से संबंधित जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री अनिल कुमार मुख्य आरक्षक नं. 680, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें एवं परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण में परिवादी की मदद करने की एवज में दलाल बोदूराम के मार्फत रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.05.2022 को परिवादी से 5,000 रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुशरण में शेष 5000 रूपये बतौर रिश्वत दिनांक 22.05.2022 को दलाल बोदूराम के मार्फत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपीगण श्री अनिल कुमार मुख्य आरक्षक नं. 680, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर एवं दलाल बोदूराम प्राईवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण अनिल कुमार एचसी एवं दलाल बोदूराम के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री अनिल कुमार, मुख्य आरक्षक नम्बर 680, पुलिस थाना कोतवाली, नीमकाथाना, जिला सीकर एवं 2. श्री बोदूराम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी नयाबास, पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली जिला सीकर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 201/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1786-90 दिनांक 23.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

23.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।